

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 201/11

संस्थापन दिनांक:-19/07/11

फाईलिंग नं. 233504000642011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

अनिल पिता आशाराम यादव,
उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्यारसपुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 25.03.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 सहपठित धारा 52, मध्यप्रदेश वन उपज अधिनियम 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 16 तथा कास्ट चिरान अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 16.05.2011 को स्थान ग्यारसपुर में विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन की चरपट 11 नग तथा एक नग सागौन का गोल लठ्ठा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा एवं 12 नग सागौन अपने आधिपत्य में क़य हेतु रखा तथा 11 नग सागौन चरपट अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.05.2011 को सुनील लाटा उप निरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ग्यारसपुर में अनिल यादव अपने मकान में अवैध रूप से सागौन की लकड़िया रख है तथा लकड़ी का व्यापार करता है। सूचना पर वह साक्षी पारधी एवं मिश्रीलाल के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त उसे हाजिर मिला जिसके द्वारा सागौन की लकड़ी रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर अभियुक्त से सागौन की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मय माल मुलजिम थाना वापस आकर

अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस चौकी गंज में अपराध क्र. 00/11 पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया। थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध असल अपराध क्र. 128/11 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाने से प्रेषित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध वन अपराध क्र. 1934/39 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। मौके का नजरी नक्शा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन की चरपट 11 नग तथा एक नग सागौन का गोल लट्ठा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान 12 नग सागौन अपने आधिपत्य में क़य हेतु रखा ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान 11 नग सागौन चरपट अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

5 श्रीराम पिंपलकर (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 30.06.2011 को परिक्षेत्र सहायक राठीपुर वन परिक्षेत्र बैतूल में वनपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वन अपराध क्र. 1934/39 दिनांक 26.06.2011 को जारी होने के पश्चात विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया, अभियुक्त के बयान लिये गये, जप्तशुदा काष्ठ का मूल्यांकन कर मूल्यांकन पत्रक तैयार किया गया। तत्पश्चात न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। साथ ही साक्षी ने यह प्रकट किया है कि इस

प्रकरण में कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गयी थी और जांच संबंधी कार्य हेतु यह प्रकरण उसे प्राप्त हुआ था।

6 मिश्रीलाल (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसके सामने अभियुक्त से कुछ जप्त नहीं हुआ था लेकिन उसके कुछ कागजों पर हस्ताक्षर ले लिये गये थे। साक्षी ने जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा अपने समक्ष अभियुक्त से सागौन की लकड़ी जप्त किये जाने से पूर्णरूपेण इनकार किया है।

7 पारधी (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है और नाकेदार ने ग्यासपुर में अभियुक्त से लकड़ी जप्त की थी जिसमें 5-6 चरपट थी और सागौन की बल्लियां थी। लिखा पढ़ी उसके सामने हुई थी और उसने हस्ताक्षर किये थे। उपर्युक्त साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त के भूसे के कोठे से सागौन की लकड़ी मिली थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-8) पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** अभियुक्त के आधिपत्य से लकड़ी का जप्त किया जाना किसी भी साक्षीगण के कथनों से प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

9 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में पारधी (अ.सा.-3) ने अभियुक्त से कथित सागौन की लकड़ी जप्त किये जाने का महत्वपूर्ण गवाह है। साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से सागौन की लकड़ियां जप्त की जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि लकड़ियां कहां से काटी गयी थी उसे इस बात की जानकारी नहीं है परंतु लकड़ी अभियुक्त के भूसे के कोठे से निकालकर जप्त की गयी थी। पैरा क. 02 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके सामने अभियुक्त ने लकड़ी नहीं रखी थी। पुलिस वालों ने उससे यह कहा था कि चलो एक जगह कागज बनाना है तो उसने डर के मारे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह बताया है कि उसने ग्राम ग्यासपुर में हस्ताक्षर किये थे। पुलिस वालों ने उसे यह नहीं बताया था कि किस बात की लिखापढ़ी की जा रही है।

10 श्रीराम पिंपलकर (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पीओआर घटना के लगभग एक माह दस दिन बाद काटा गया था तथा

पीओआर में सारी जानकारी पुलिस के द्वारा दी गयी थी। पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा नक्शे मौके में उस स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है जहां से अभियुक्त से सागौन की लकड़ी जप्त हुई थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त का जो बयान लेख किया गया था उसमें यह लेख नहीं किया था कि सागौन की लकड़ियों की संख्या कितनी थी। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना चालू रोड के पास का है जहां से किसी भी व्यक्ति के द्वारा लकड़ियां फेंककर जाना संभव है।

11 प्रकरण में सर्वप्रथम जप्तशुदा सागौन की लकड़ी के संबंध में कार्यवाही पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा की गयी थी परंतु वन विभाग के द्वारा उन्हें अभियोजन साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वतंत्र साक्षी मिश्रीलाल (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से कथित सागौन की लकड़ी की जप्ती के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। पारधी (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त के घर से भूसे के कोठे से सागौन की लकड़ियां मिली थी जिनमें 5-6 चरपट और सागौन की बल्लियां भी थी। जबकि जप्ती पत्रक के अनुसार कुल 11 नग चरपट तथा एक नग लट्ठा जप्त किया गया था। इस प्रकार साक्षी पारधी के कथनों से भी अभियुक्त से कथित सागौन की चरपट की जप्ती प्रमाणित नहीं होती है। साथ ही उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा सागौन की चरपट को किस वन परिक्षेत्र से काटकर लाकर रखा गया था। श्रीराम पिंपलकर (अ.सा.-1) जो कि उप वन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ होकर पीआरओ काटे जाने पर विवेचना की कार्यवाही की थी उसने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में बताया है कि जिस जगह से लकड़ी की जप्ती की गयी थी उसका वर्णन नक्शा मौके में नहीं किया गया है, किस स्थान पर चरपट रखी थी उसका भी उल्लेख नक्शा मौके पर नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि जहां से जप्तशुदा लकड़ी मिली वह सार्वजनिक रूप से चालू रोड है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त के बयान (प्रदर्श पी-3) लिये थे। उसमें भी यह लेख नहीं है कि अभियुक्त से कितनी सागौन की लकड़ियां जप्त की गयी थी। साथ ही अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार भी नहीं किया है। ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने सागौन की लकड़ियों को काटा हो और ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त सागौन की लकड़ियों का क्रय विक्रय का व्यापार करता हो। अतः ऐसी स्थिति पर आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना

दिनांक, समय व स्थान पर विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन की चरपट 11 नग तथा एक नग सागौन का गोल लट्ठा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में एवं 12 नग सागौन अपने आधिपत्य में क्रय हेतु तथा 11 नग सागौन चरपट अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा। फलतः अभियुक्त अनिल यादव को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 सहपठित धारा 52, मध्यप्रदेश वन उपज अधिनियम 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 16 तथा कास्ट चिरान अधिनियम की धारा 13 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

14 प्रकरण में जप्तशुदा सागौन चरपट वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला के आधिपत्य में है। वन विभाग के नियमानुसार उसका निराकरण किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)